प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 31.03.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 10,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 45/2026 धारा 3(1)/2(b)(i) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित 10,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त चन्दू उर्फ विकास कुमार पुत्र रामसागर निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर को आज दिनाँक 31.03.2026 को बेलडिहवा से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- चन्दू उर्फ विकास कुमार पुत्र रामसागर निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** उ0नि0 श्री राधेश्याम, हे0का0 विजय कुमार सिंह, का0 बृजेश सिंह, का0 रोहित कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5999 द्वारा बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर मारपीट / विवाद में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 5999 पर थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत मंझरिया से कालर द्वारा बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर मारपीट में घायल 04 व्यक्तियों (01.गनेश चौहान पुत्र जमुना चौहान 02.चनारू चौहान पुत्र सुखारू चौहान 03.कलावती देवी पत्नी चनारू चौहान 04.पप्पू चौहान पुत्र चनारू चौहान निवासीगण ग्राम मंझरिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राजनाथ यादव, का0 देवेन्द्र कुमार, हो0गा0चा0 मैनेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 157 वाहनों से 1,64,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 31.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 157 वाहनों से 1,64,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, जोन गोरखपुर के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980(एनएसए) के अन्तर्गत 17 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले अभियुक्त को निरुद्ध किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनांक 18.10.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर आवेदिका द्वारा बावत प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदिका की पुत्री उम्र 17 वर्ष जो अभियुक्त बदरे आलम उर्फ बादल के मकान में संचालित ज्ञानशिखा कोचिंग सेन्टर खलीलाबाद में पढ़ती है। आवेदिका की पुत्री दिनांक 17.010.2025 को कोचिंग पढ़ने गयी थी उसी दौरान अभियुक्त द्वारा आवेदिका की पुत्री को ज्ञानशिखा कोचिंग सेन्टर से कछ ही दूरी पर सुनसान/खली मकान में लेजाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 956/2025 धारा 137(2) 64(1)/123 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)V, 3(2)Va एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

"आपरेशन क्रैक डाउन" के तहत दिनाँक 19.10.2025 को उक्त घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बदरे आलम पुत्र मो0 अकरम खां निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के दाहिने पैर मे गोली लगी। उक्त अभियुक्त का इलाज जिला अस्पताल जनपद संतकबीरनगर में कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
बदरे आलम उर्फ बादल पुत्र मो0 अकरम खान निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर

कृत कार्रवाई:-
01- दिनांक 19.10.2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।
02- दिनांक 30.03.2026 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980(एनएसए) के अन्तर्गत अभियुक्त को निरुद्ध किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दहेज के 03 अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष का कारावास व कुल 45000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनाँक 31.03.2026 को श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 778/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 01. राजेश पुत्र रामप्रसाद 02. रामप्रसाद चौहान पुत्र रामबहाल चौहान 03. पन्ना देवी पत्नी राम प्रसाद निवासीगण बरईपार थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है, तथा प्रत्येक अभियुक्तगण राजेश , रामप्रसाद चौहान,पन्ना देवी को धारा 498ए भादवि में 03-03 वर्ष के कारावास व 10000-10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने 02-02 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष के कारावास तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 02-02 साल का कारावास व 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अभियुक्ता को 02 वर्ष का कारावास व कुल 7000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 31.03.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/ पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर के द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अभियुक्ता को 02 वर्ष के कारावास व कुल 7000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 674/2018 धारा 363/34,366/34,376,120बी भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्तगण का नाम पता 01.रुदल साहनी पुत्र फकीरा साहनी निवासी डिहजीवर थाना हाथौली जनपद मुजफ्फरपुर 02. रीमा पत्नी दुर्गेश निवासी पौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

सजा विवरण:-

01 अभियुक्त रुदल साहनी को अन्तर्गत धारा 363/34 भा0द0वि0 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 376(3) भा0द0वि0 में आजीवन कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

02 अभियुक्ता रीमा को अन्तर्गत धारा 363/34,120बी भा0द0वि0 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

जय हिन्द सर

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार संचालित *ऑपरेशन कनविक्शन* अभियान के अंतर्गत दिनांक 31.03.2026 को संतकबीरनगर पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 674/2018, धारा 363/34, 366/34, 376, 120बी भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

अभियुक्तों का विवरण :-

- रुदल साहनी पुत्र फकीरा साहनी, निवासी डिहजीवर थाना हाथौरी जनपद मुजफ्फरनगर।
- रीमा पत्नी दुर्गेश, निवासी पौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

सजा का विवरण :-

अभियुक्त रुदल साहनी

- धारा 376(3) भा0द0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास व ₹3000 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास।
- धारा 363/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास।

अभियुक्ता रीमा

- धारा 363/34, 120बी भा0द0वि0 के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास।